हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मते जारी हुए
अश्विनी अरोड़ा बनाम लो.सू.अ.(जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 84/2017	

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अश्विनी अरोड़ा, पता प्लॉट नं. 157, न्यू कॉलानी, बी.जे.एस. जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 12.01.2017 में उसके द्वारा (1) नगर निगम जोधपुर के नये वार्ड सं. 15, 16, 19, 25, 32, 33, 34, 38, 45, 49, 54 व 60 में संचालित उचित मूल्य दुकान/उपभोक्ता सहकारी भण्डार की दुकान सं0 14/69, 14/70, 14/71, 14/72, 28/145, 23/115, 23/116, 23/117, 23/118, 15/76, 15/346, 23/114, 27/136, 26/132, 27/137, 27/138, 50/254, 36/183, 36/185, 50/254, 55/276 के दिनांक 1 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक राशन सामग्री गेहूँ, शक्कर, केरोसिन के स्टॉक रजिस्टरों तथा मैन्यूल वितरण रजिस्टरों व Monthly POS Transaction Sale Summary विवरण की सत्यापित प्रतिलिपियां, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी प्रथम, जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी उपस्थित।

अपीलार्थी ने बहस में बतलाया कि जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन करते हुए 11 बिन्दुओं से संबंधित सूचना चाही गई, जिस पर जिला रसद अधिकारी ने बिना आधार के पत्र व्यवहार कर सूचना लम्बित करने की प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की गई। जिला रसद अधिकारी के पत्र पर उसने नियमानुसार जबाब भी प्रस्तुत किया परन्तु अभी तक सूचना नहीं दी गई। बहस में यह भी बतलाया कि जोधपुर शहर में समस्त राशन डिलरों व संलिप्तों ने गेहूँ का गबन/घोटाला कर राजकोष को भारी क्षति पंहुचाई है तथा जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा दो–तीन माह में करीबन साढ़े दस करोड़ का गेहूँ घोटाला हो चुका है। बहस में यह भी कहा कि बिन्दु संख्या 1 से 11 तक से संबंधित सूचना का अवलोकन किये जाने की स्वीकृति दिये जान पर मैं स्वयं जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर कार्यालय में उपस्थित हुआ परन्तु कार्यालय के सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंधित कर्मचारी व कार्यालयध्यक्ष से रिकॉर्ड का अवलोकन का निवेदन करने पर कोई सूचना संधारित किया जाना नहीं पाया है इसलिए उन्होनें दिनांक 27.02.2017 को पुनः प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसका जिला रसद अधिकारी द्वारा जबाब नहीं दिया गया। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर से चाही गई सूचना नहीं देने पर प्रथम अपील इस कार्यालय को प्रेषित की गई। बहस के अन्त में बिन्दु संख्या 1 से 11 तक से संबंधित सूचना शीघ्र दिलाने की इस्तदुआ की तथा लिखित बहस के साथ कुछ दस्तावेज की फोटो प्रतियां भी प्रस्तुत की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक एफ–33(3)/रसद/सू.अ.

लगातार...

/सू.अ./2017/460 दिनांक 12.06.2017 से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई। लोक सूचना अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बतलाया कि नीजि उचित मूल्य दुकानों के राशन सामग्री गेहूँ, शक्कर, केरोसीन के स्टॉक रजिस्टरों व मेन्यूवल वितरण रजिस्टर की प्रमाणित प्रतियां चाही गई। उक्त रिकॉर्ड नीजि उचित मूल्य दूकानों से उपलब्ध होने पर प्रतिलिपि शुल्क जमा कराने पर प्रतियां दी जायेगी। रिपोर्ट में यह भी बतलाया कि अप्रेल 2016 से वितरण ऑनलाईन शुरू किया गया है। माह सितम्बर 2016 से पॉश मशीनों द्वारा शत–प्रतिशत ऑनलाईन शुरू कर दिया गया अतः माह सितम्बर 2016 से चाही गई सूचना ऑनलाईन पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत चयनित एपीएल लाभार्थियों की सूचियां कार्यालय में उपलब्ध है तथा पूर्व निर्धारित समय के अनुसार अवलोकन करने हेतु सूचित किया गया परन्तु समय देने के उपरांत भी अवलोकन नहीं किया है जिसके कारण कौनसी प्रति देना है, संभव नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क भी जमा नहीं करवाया। चाही गई सूचना ऑनलाईन पर भी उपलब्ध है उक्त सूचना खाद्य विभाग राज. जयपुर के वेब पोर्टल food.raj.nic.in.पर प्रिन्ट ले सकते है। अपनी रिपोर्ट में बिन्दु सं. 3 व 4 की सूचनाएं राशन सामग्री गेहूँ, शक्कर, केरोसीन का आवंटन एवं थोक विक्रेता को दी गई सामग्री का मासिक विवरण की प्रतियां उपलब्ध है। प्रार्थी को अवलोकनार्थ कर सूचित किया है समय देने के उपरांत भी प्रार्थी द्वारा अवलोकन नहीं किया, जिसके कारण कौनसी प्रति देनी है, संभव नही है तथा प्रार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क भी जमा नहीं करवाया। बिन्दु–5 में सूचना अधिकार अधिनियम धारा 2(ञ) (।।) के अनुसार उपलब्ध दस्तावेज व अभिलेख की प्रति दी जा सकती है। किसी प्रकार की सूचना तैयार कर देने का प्रावधान नहीं है। बिन्दु सं. 6 से 11 की सूचनाएं कार्यालय में उपलब्ध है तथा प्रार्थी को अवलोकन करने हेतु कार्यालय के पत्रांक एफ. 33(3)/रसद/सू.अ./2017/28 दिनांक 02.02.2017 व 61 दिनांक 22.02.17 के द्वारा सूचित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी की तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा सूचना नहीं दी जाकर रिकॉर्ड अवलोकन करने एवं निर्धारित सूचना शुल्क जमा कराने को कहा, जिसकी पुष्टि अपील के संलग्न दस्तावेजों से भी होती है। अपीलार्थी के कथनानुसार उपस्थित होने पर भी उसे रिकॉर्ड का अवलोकन नहीं करवाया गया जबकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ। सूचना बिन्दु संख्या एक के बारे में जिला रसद अधिकारी द्वारा चाही गई सूचना 8 (1)(ञ) के अनुसार नीजि व्यक्ति से संबंधित सूचना से होने से छूट प्रदान है इस तर्क से हम सहमत नहीं है क्योंकि उचित मूल्य का अनुज्ञा पत्र जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है तथा राशन सामग्री का स्टॉक एवं वितरण व्यवस्था का नियंत्रण रसद विभाग का ही होता है अतः ऐसे अनुज्ञापत्रधारियों से सूचना मंगवाकर निर्धारित शुल्क लेकर दी जानी चाहिए परन्तु अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ सलंग्न दस्तावेज एवं लोक सूचना अधिकारी की तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ संलग्न दस्तावेज से पुष्टि होती है कि अपीलार्थी को समय पर सूचित किया जा चुका तथा अपीलार्थी को पुनः पत्र दिनांक 22.02.17 के द्वारा सूचित किया गया। अपीलार्थी का कहना है कि वो दिनांक 27.02.17 को उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र पेश किया परन्तु रिकॉर्ड का

प्रस्तुत की गई जिसका कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया अतःअपील विलम्ब से पेश होने से निरस्त योग्य है, परन्तु न्यायहित में अपीलार्थी से आग्रह किया जाता है कि वो सूचना प्राप्त करने के लिए अब भी गंभीर है एवं रिकॉर्ड का अवलोकन करना चाहे तो रिकॉर्ड का अवलोकन कर चाही गई सूचना का नियमानुसार सूचना शुल्क जमा कर सूचना प्राप्त कर सकता है। लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को रिकॉर्ड अवलोकन कराने के लिए 15 दिवस के भीतर दिनांक व समय तय करने का पत्र जारी करें तथा अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना नियमानुसार दी जावे। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो।